

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक- 1518 / 11-सी-FP/UP/Others/13877/2015, लखनऊ, दिनांक: नवम्बर 16, 2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,  
लखनऊ।

विषय: कार्योपरांत स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस०एच०-80) किमी० 26.320 की दायीं पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा स०-537 में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.075012 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पतन की अनुमति।

(प्रस्ताव सं०-FP/UP/Others/13877/2015)

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०6/40/2017/एफ०सी०/1194, दिनांक-28.01.2021 महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक-1446/14-1, दि० 29.10.2021 द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित की गयी आपत्ति का निराकरण सम्बन्धी अभिलेख दो प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

18

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1518 / 11-सी FP/UP/Others/13877/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, अलीगढ़।
- 3- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि० ए-5, से०-3, नोएडा।

18

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

o/c